पत्रांक :–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 24/1545/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 18/04/2023

विषयः– **रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 2,33,59,36,000=00 (दो अरब तैंतीस करोड़ उनसठ लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 16/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 2,33,59,36,000=00 (दो अरब तैंतीस करोड़ उनसठ लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :– 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, A7–रॉची विश्वविद्यालय, रॉची को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष– 06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–21S220203102A7000679

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

5. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि की निकासी निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जॉच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 16/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 24/बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 24/बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 3/ANU02-03/2016/24/BUDGET दिनांक - 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102A7000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता A7 - राँची विश्वविद्यालय, राँची को पेंशन एवं अन्यसेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	11542	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	2,335,936,000.00 रुपये दो अरब तैतीस करोड उनसठ लाख छत्तीस हजार

योग: 2,335,936,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो अरब तैतीस करोड उनसठ लाख छत्तीस हजार

18/4

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

49.37.66.181

Run Date: 18/4/2023

पत्रांक :–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 25/१५५/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 18/04/2023

विषयः– **डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 4,54,46,000=00 (चार करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 17/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 4,54,46,000=00 (चार करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :– 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, BG– डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–21S220203102BG000679

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

5. डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि की निकासी निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जॉच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 17/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 25/बजट /रॉची, दिनांक– 18.04/2023

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 25/बजट /रॉची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 3/ANU02-03/2016/25/BUDGET **दिनांक -** 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BG000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BG - डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	11552	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	45,446,000.00 रुपये चार करोड चौपन लाख छयालीस हजार

योग: 45,446,000.00

रुपये चार करोड चौपन लाख छयालीस हजार

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR

 49.37.66.181 **Run Date:** 18/4/2023

पत्रांक :–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 26/बजट
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 18/04/2023

विषयः– **विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 1,64,91,24,000=00 (एक अरब चौसठ करोड़ एकानवे लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 18/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 1,64,91,24,000=00 (एक अरब चौसठ करोड़ एकानवे लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :– 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, A8– विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–21S220203102A8000679

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

5. विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत हजारीबाग कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि की निकासी निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जॉच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 18/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 26(बजट)........../रॉची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 26(बजट)........../रॉची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वितीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 3/ANU02-03/2016/26/BUDGET **दिनांक -** 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102A8000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता A8 - विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को पेंशन एवं अन्यसेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	11554	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,649,124,000.00 रुपये एक अरब चौसठ करोड इनकानवे लाख चौइस हजार

योग: 1,649,124,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक अरब चौसठ करोड इनकानवे लाख चौइस हजार

18/4

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

 49.37.66.181 **Run Date:** 18/4/2023

पत्रांक :–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 27/1745

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 18/04/2023

विषयः– **बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 15,00,00,000=00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 19/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 15,00,00,000=00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :– 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, BE–बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–21S220203102BE000679

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

5. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत धनबाद कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि की निकासी निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जॉच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 19/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

Sd/- 18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 27/बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 27/बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 3/ANU02-03/2016/27/BUDGET **दिनांक -** 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BE000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BE - बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	11557	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	150,000,000.00 रुपये पंद्रह करोड

योग: 150,000,000.00

रुपये पंद्रह करोड

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR

 49.37.66.181 **Run Date:** 18/4/2023

पत्रांक :–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 2810/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषयः– **सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 60,00,00,000=00 (साठ करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 20/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 60,00,00,000=00 (साठ करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :– 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, A9–सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–21S220203102A9000679

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

5. सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत दुमका कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि की निकासी निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जॉच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 20/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 281 बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 281 बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 3/ANU02-03/2016/28/BUDGET **दिनांक -** 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102A9000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता A9 - सिदधु-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	13358	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	600,000,000.00 रुपये साहठ करोड

योग: 600,000,000.00

रुपये साहठ करोड

क्रमिक योग:

18/4

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

 49.37.66.181 **Run Date:** 18/4/2023

पत्रांक :–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 29/945/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषयः– **नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 15,39,89,000=00 (पन्द्रह करोड़ उनचालीस लाख उन्नासी हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 21/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 15,39,89,000=00 (पन्द्रह करोड़ उनचालीस लाख उन्नासी हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :– 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, AA– नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–21S220203102AA000679

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

5. नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पलामू कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि की निकासी निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी–

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जॉच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 21/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 29/बजट /रॉंची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 29/बजट /रॉंची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वितीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 3/ANU02-03/2016/29/BUDGET **दिनांक -** 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102AA000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता AA - नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	11563	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	153,989,000.00 रुपये पंद्रह करोड उनचालीस लाख नवासी हजार

योग: 153,989,000.00

रुपये पंद्रह करोड उनचालीस लाख नवासी हजार

क्रमिक योग:

18/4

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

49.37.66.181

Run Date: 18/4/2023

पत्रांक :–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 301/बजट

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषयः– **कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 51,59,44,000=00 (एकावन करोड़ उनसठ लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 22/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 51,59,44,000=00 (एकावन करोड़ उनसठ लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :– 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, AB– कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–21S220203102AB000679

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

5. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत चाईबासा कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि की निकासी निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जॉच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 22/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 30/बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 30/बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वितीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 3/ANU02-03/2016/30/BUDGET **दिनांक -** 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102AB000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता AB - कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	11569	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	515,944,000.00 रुपये इकावन करोड उनसठ लाख चवालीस हजार

योग: 515,944,000.00

क्रमिक योग: रुपये इकावन करोड उनसठ लाख चवालीस हजार

18/4

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR

 49.37.66.181 **Run Date:** 18/4/2023

पत्रांक :–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 31/875/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषयः– **जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 47,20,000=00 (सैतालीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 23/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध की राशि रू0 47,20,000=00 (सैतालीस लाख बीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :– 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, BO– जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–21S220203102BO000679

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

5. जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत जमशेदपुर कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि की निकासी निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जॉच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 23/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 31/बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/अनु02–03/2016 (उ0शि0) 31/बजट /राँची, दिनांक– 18/04/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 3/ANU02-03/2016/31/BUDGET **दिनांक -** 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BO000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BO - जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	11574	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	4,720,000.00 रुपये सैतालीस लाख बीस हजार

योग: रुपये सैतालीस लाख बीस हजार 4,720,000.00

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR